पत्र सं0–सीएफओ0–हाथरस / पेट्रो0 अना0 / 2019 / 128

हाथरस

दिनांक– दिसम्बर 6, 2019

सेवामें,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस।

विषय– टैरेटरी मैनेजर(रिटेल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, मथुरा के पत्र संख्या–**MT/Engg./NRO Naugawana,** दिनांक 14.11.2019 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 3179, ग्राम–नौगवां, ब्लाक–सादाबाद, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस पर एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 1158 / जि0पू0अ0–पेट्रो0अनु0 / 2019 दिनांक 25.11.2019 |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में भूमि खसरा संख्या 3179, ग्राम–नौगवां, ब्लाक–सादाबाद, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस पर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट स्थल का अग्निसुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ0आई0एस0डी0–225 के मानकों के अनुरूप निरीक्षण एंव परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. प्रस्तावित स्थल मथुरा–सादाबाद रोड से बलदेव रोड पर के0एम0 स्टोन नं0 38 से (सादाबाद–8 के0एम0, बलदेव–18 के0एम0,) 790.00 मीटर की दूरी पर स्थिति है। जहां पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुॅच सकते हैं ।
2. प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल–1225.00 वर्गमीटर है।
3. 20 के0एल0 क्षमता का 01 अदद हाई स्पीड डीजल (एचएसडी0) भूमिगत टैंक तथा 15 के0एल0 क्षमता का 01 अदद पेट्रोल (एमएस0) भूमिगत टैंक प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित दोनों टैंक के ऊपर 04 मीटर ऊँचाई के अलग–अलग दो वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
5. पेट्रोलियम / फिलिंग स्टेशन हेतु 11.50 मीटर चौडाई के एक–एक प्रवेश एंव निकास मार्ग प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली</u>

1. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0 / एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नही होना चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
3. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
4. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
5. लारी / तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।
6. [illegible] के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाये।
7. डिस्पेंसर यूनिटों के पास दो–दो अदद आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जाये [illegible] सदैव क्रियाशील दशा में रखने एवं उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।
8. इलेक्ट्रिकल [illegible] के पास आई0एस0 मार्का कार्बनडाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रख जाये।
9. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि0ग्रा0 क्षमता एवं दो अदद 9 लीटर क्षमता के [illegible] फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्का के रख जाये और D.G Sets के [illegible] Height नियमानुसार होनी चाहिए एवं टैंक की वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
10. [illegible] में [illegible] फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 केजी0 की 01–01 अदद एवं [illegible] क्षमता 4.5 केजी0 के 01 अदद [illegible] अनिवार्य होगा।
11. [illegible]

क्रमशः.....

लाइसेंस एरिया में जक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

14 इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।

15. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।

16 पेट्रोल पम्प पर **धूम्रपान निषेध** के बोर्ड लगे होने चाहिए।

17 फायर स्टेशन का टेलीफोन / मो0नं0 9454418490, 9454418491 और पुलिस कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

18 प्रवेश / निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।

19 ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:–

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल बंद रखें।

20. रिटल आउटलेट मे स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

21. मानचित्र में अंकित NOTS में बिन्दु संख्या 1–22 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कडाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत प्रोवीजनल हेतु आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतएव उपरोक्त शर्तो के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, मथुरा के द्वारा भूमि खसरा संख्या 3179, ग्राम–नौगवां, ब्लाक–सादाबाद, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस में नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या सस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–मानचित्र।

(ए0के0सिह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस